इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद

निविदा सूचना

बागवानी व **सफाई कार्य** संविदा पर कराये जाने हेतु इच्छुक ठेकेदारों से निर्धारित प्रपत्र पर मुहरबन्द लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र संग्रहालय से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 18.10.2015 से 07.11.2015 तक प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक रू0 1,000.00 नकद जमाकर प्राप्त किया जा सकता है या संग्रहालय की वेब साइट www.theallahabadmuseum.com, से प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु इस स्थिति में निविदादाता को निविदा प्रपत्र जमा करते समय निदेशक, इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद के पक्ष में रु. 1000/– का बैंक ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के मूल्य के रूप में जमा करना आवश्यक है। पूर्ण भरे हुए निविदा प्रपत्र दिनांक 07.11.2015 तक अधोहस्ताक्षरी के पास अपरान्ह् 2.30 तक तथा रु. 15000/– की धरोहर राशि किसी राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के साथ हर स्थिति में पहुंच जाना चाहिए।

उपरोक्त समस्त निविदाएं सायं 3.00 बजे निदेशक द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 07–11–2015 को उपस्थित निविदा दाताओं के सम्मुख खोली जायेगी । अपूर्ण/विलम्ब से प्राप्त हुए निविदा प्रपत्र स्वतः निरस्त मान लिए जाएगें तथा भविष्य में इन पर कोई विचार/पत्राचार संभव नहीं है। निदेशक, इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद के पास कोई भी या समस्त निविदा प्रपत्र निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।

(राजेश पुरोहित)
निदेशक

निविदा मूल्य रू0 1000/—

कार्यालय प्रयोग के लिए

रसीद सं0......................दिनांकः......................................

इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद

इलाहाबाद संग्रहालय में बागवानी व सफाई कार्य के लिए निविदा फार्म

1— ठेकेदार/फर्म का नाम व पता : ....

(दूरभाष सहित) ....

....

2— कार्य का अनुभवः—

(अ) सरकारी/गैर सरकारी क्षेत्र का नाम : ....

व पता जहॉ कार्य किया है । ....

....

(ब) कार्य की अवधि : ....

(स) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्रः ....

3— सर्विस रजिस्ट्रेशन पैन सं0/टिन सं0 : ....

....

4— संलग्न निविदा हेतु बैंक ड्राफ्ट की : ....

धनराशि ड्राफ्ट सं0 एवं बैंक का नाम ....

5— प्रस्तावित श्रमिकों की संख्या : (अ)सफाई कार्य हेतु 04 (ब)बागवानी कार्य हेतु 04

6— श्रमिकों को देय प्रतिश्रमिक न्यूनतम दर एवं कुल धनराशि (केन्द्रीय श्रम आयोग द्वारा निर्धारित):—

प्रति श्रमिक दर...कुल देय धनराशि..

7— क्या कभी किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आपको दण्डित किया गया है ?...

8— क्या किसी सक्षम न्यायालय में आपके विरूद्ध आपराधिक मामला लम्बित है ?...

9— प्रस्तावित ई0पी0एफ0,ई0आई0एस0,सर्विस टैक्स,सर्विस चार्ज आदि :...

....

10— एनुअल टर्नओवर सर्टिफिकेट, सालवेन्सी सर्टिफिकेट, आई0टी0आर0 तथा पहचान एवं निवास का प्रमाण पत्र आदि :..

....

मैं घोषणा करता हूॅं कि उपर्युक्त लिखित समस्त सूचनाएं सही एवं पूर्ण हैं तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है ।

दिनांकः.................................

निविदादाता का हस्ताक्षर

इलाहाबाद संग्रहालय में साफ–सफाई व बागवानी कार्य संविदा पर कराए जाने के सम्बन्ध में कार्य का विवरण तथा नियम एवं भार्तेः–

अ– सफाई का कार्यः–

1– संग्रहालय परिसर पॉच एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में व्यवस्थित है । परिसर में स्थित मुख्य भवन में दो तल है । दोनों तल पर कुल 18 वीथिकाएं हैं ।

2– संग्रहालय परिसर के मुख्य भवन में अध्यक्ष एवं निदेशक का कक्ष, कार्यालय, संग्रहपाल कक्ष, पुस्तकालय, व्यास सभागार, बैठक–कक्ष, पॉच सुरक्षित संग्रह कक्ष, छायानुभाग, रासायनिक प्रयोग अनुभाग, अनूकृति अनुभाग, क्लास कक्ष, दो आंगन, छः कम्प्यूटर कक्ष, मुख्य केन्द्रीय हॉल, स्टोर कक्ष, बढ़ई अनुभाग आदि स्थित है ।

3– संग्रहालय परिसर में निदेशक आवास, गेस्ट हाऊस (दो तल) केन्द्रीय भण्डार आदि स्थित हैं।

4– संग्रहालय के समस्त परिसर, प्रसाधन एवं संग्रहालय के मुख्यद्वार के सामने की सड़क आदि की सफाई कार्य सम्पन्न किया जाना है ।

5– संग्रहालय के मुख्य भवन में चार प्रसाधन व परिसर में तीन प्रसाधन स्थित है ।

6– मुख्य भवन के बाहर परिसर में ही सुरक्षित मूर्तिकला कक्ष की सफाई भी की जाएगी ।

7– ओवर हेड टैंक की सफाई निश्चित अन्तराल पर कराना है । परिसर के अन्दर सड़क व विकसित समस्त भूतल की साफ–सफाई प्रस्तावित है ।

8– सफाई कार्य एवं बागवानी कार्य के श्रमिकों का कार्यकाल प्रातः 8.00 बजे से सायं 6.00 बजे के बीच सम्पन्न कराया जाना आवश्यक है ।

9– संग्रहालय बन्द रहने पर संग्रहालय के मुख्य भवन के बाहर परिसर की सफाई नियमित रूप से की जाएगी । अवकाश के दिनों में विशेष सफाई अभियान के अन्तर्गत समय–समय पर सफाई कराना होगा ।

10– समय–समय पर संग्रहालय के मुख्य भवन के प्रथम तल व द्वितीय तल के फर्श की घिसाई कराकर विशेष सफाई व्यवस्था सुनिक्ष्चित करनी होगी ।

11– समस्त कार्य निदेशक अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी/प्रभारी के निर्देशानुसार करना होगा ।

ब– बागवानी कार्यः–

1– संग्रहालय परिसर में 2 एकड़ में केन्द्रीय लॉन व 4 छोटे लॉन, निदेशक आवास में स्थित लॉन आदि हैं जिसका सुन्दर ढंग से रख–रखाव करना होगा ।

2– लगभग 600–1000 गमलों का रख–रखाव करना होगा ।

3– समय–समय पर मौसम के अनुसार नए पेड़–पौधों का लगाना होगा ।

4– पेड़ों की छटाई, गुड़ाई व घास की कटाई आदि का कार्य भी करना होगा ।

5– संग्रहालय में व्यवस्थित समस्त लॉन के क्षेत्र को इस प्रकार विकसित करना होगा कि वह देखने में अति आकर्षक प्रतीत हो ।

6– समस्त कार्य निदेशक अथवा उनके द्वारा मनोनीत प्रभारी/अधिकारी के निर्देशानुसार ही सम्पन्न करना होगा ।

नियम एवं भार्तें:–

1– आवेदन–पत्र के साथ रू0 15,000.00 की धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा ।

2– बैंक ड्राफ्ट निदेशक, इलाहाबाद संग्रहालय के नाम से बनाया जाएगा एवं इलाहाबाद में देय होगा ।

3– इच्छुक ठेकेदारों के पास कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है ।

4– यदि अन्य सरकारी कार्यालयों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में कार्य करने का अनुभव है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी ।

5– आवेदन–पत्र में पंजीकृत ठेकेदारों की पंजीयन संख्या, पैन, टिन संख्या, सेवा पंजीकरण संख्या, ई0पी0एफ0, ई0आई0एस0, सर्विस टैक्स, (सर्विस टैक्स 25% ठेकेदार/फर्म द्वारा तथा 75% संस्था द्वारा देय होगा) सर्विस चार्ज आदि का उल्लेख आवश्यक है ।

6– यदि आवेदन–पत्र में उल्लिखित तथ्य गलत पाए जाते हैं तो आवेदन स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।

7– कार्य के आवंटन हेतु सम्बन्धित ठेकेदार का अनुभव, पूर्व क्रेडेबिलिटी आदि का संज्ञान लिया जाएगा ।

8– निर्धारित तिथि एवं समय के बाद किसी भी दशा में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद उसमें किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

9– प्राप्त निविदाएं 07–11–2015 को सायं 03.00 बजे संग्रहालय में निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी ।

10– कार्य के आवंटन से पूर्व संग्रहालय प्रथम पार्टी एवं फर्म/ठेकेदार द्वितीय पार्टी के बीच अनुबंध किया जाएगा ।

11– संग्रहालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा सफाई व बागवानी कार्य का प्रतिदिन निरीक्षण किया जाएगा।

12– संग्रहालय में कार्य पर लगाए गए कर्मियों का नाम, पता पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र कार्यालय में जमा करना होगा ।

13– संग्रहालय में लगाए गये कर्मियों के पास परिचय–पत्र होना आवश्यक है ।

14– ठेकेदार द्वारा संग्रहालय में लगाए गये कर्मियों के चरित्र एवं अनुशासन आदि का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा ।

15– यदि किसी कर्मी का व्यवहार व कार्य संतोषजनक नहीं है तो इलाहाबाद संग्रहालय से उसे तुरन्त हटाना आवश्यक होगा ।

16– यदि किसी कर्मी के द्वारा संग्रहालय की सम्पत्ति को नुकसान पहुॅचता है तो उसका उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा ।

17– संविदा पर अनुबन्ध सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगा परन्तु कार्य से सन्तुष्ट न होने पर अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में उसे पहले भी समाप्त किया जा सकता है ।

18– देय धनराशि का भुगतान बिल प्रतिमाह प्राप्त होने पर चेक के द्वारा ठेकेदार को दिया जाएगा । नियमानुसार इसपर आयकर कटौती भी सुनिश्चित की जायेगी।

19– जिनका निविदा स्वीकृत होगा उसे 10 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करना होगा जिसमें रू015,000.00 (पन्द्रह हजार की) धरोहर राशि शामिल रहेगा ।

20– उपरोक्त कार्य कराने के लिए सफाई एवं बागवानी हेतु आवश्यक समस्त सामग्री जैसेः– धुलाई पाउडर, क्लीनर, खाद, पौधे एवं अन्य आवश्यक उपकरण, फावड़ा, खुर्पी, सिचाई पाइप, झाड़ू, वाइपर, ब्रश आदि की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी ।

21– कार्य पर लगाए गये कर्मियों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी देना आवश्यक होगा श्रमिकों को नियमानुसार अन्य देय ठेकेदार को वहन करना होगा ।

22– ठेकेदार/फर्म एवं इलाहाबाद संग्रहालय के बीच कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में न्यायाधिकार क्षेत्र इलाहाबाद होगा ।

23– भरे हुए आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 07–11–2015 सायं 2.30 बजे तक है ।

निदेशक